कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

दिनांक–04.09.2014

उपस्थित :– श्री रमेन्द्रनाथ राय

मनरेगा शिकायत वाद संख्या–235/2014 श्री सुरेश राम, श्री पारस राम एवं अन्य बनाम पं0रो0से0, माली तथा कार्य0पदा0, सुगौली

निर्णय

परिवादी श्री सुरेश राम, श्री पारस राम एवं अन्य ने दिनांक–21.08.2014 को आवेदन दिया कि मनरेगा में काम दिलाने हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी सुगौली को आदेश दिया जाय। अतः आवेदन के आलोक में वाद दर्ज कर पं0रो0से0, माली और कार्य0 पदा0, सुगौली को इस कार्यालय के पत्रांक–75 दिनांक–21.08.14 को आदेश दिया गया है कि परिवादी से काम की मांग का आवेदन प्राप्त कर मनरेगा में काम दिलाया जाय। पंचायत रोजगार सेवक माली द्वारा अपने पत्रांक–29 दिनांक–27.08.14 से सभी परिवादी को योजना सं0–26/2010–11 में काम दे दिया गया है। अतः वाद को समाप्त किया जाता है।

ह0

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 86 / दिनांक– 4.9.14

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, सुगौली, पं0रो0से0, माली एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्रनाथ राय 4.9.14

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

दिनांक–05.09.2014

उपस्थित :– श्री रमेन्द्रनाथ राय

मनरेगा शिकायत वाद संख्या–196 से 206/2014 श्रीमती कुसमी देवी, श्रीमती राधिका देवी, श्री रामजनम राम एवं अन्य बनाम पं0रो0से0, नौरंगिया तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी।

निर्णय

परिवादी श्रीमती कुसमी देवी, श्रीमती राधिका देवी, श्री रामजनम राम, श्री रामदेनी राम, श्री गुड्डु सिंह, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती भवानी देवी, श्रीमती सुखली देवी, श्रीमती सिमरिखिया देवी, श्री अजीत राम और बिहारी सहनी ने दिनांक–31.05.2014 को आवेदन दिया कि मनरेगा में काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं मिला है।

अतः आवेदन के आलोक में वाद दर्ज कर पं0रो0से0, नौरंगिया और कार्य0 पदा0, मोतिहारी को नोटिस जारी की गई, जिसमें कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–130 दिनांक–02.09.2014 और पंचायत रोजगार सेवक द्वारा जबाव दिया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्र0	परिवादी का नाम	जबाव	अभियुक्ति
	श्री रामजनम राम, पिता–देवन राम,	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–340 है, कुल कार्य दिवस 52 के आलोक में कुल मो0–7176.00 भुगतान कर दिया गया है।	
2.	श्री रामदेनी राम, पिता–रामप्रसाद राम,	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–559 है, कुल कार्य दिवस 30 के आलोक में कुल मो0–4140.00 भुगतान कर दिया गया है।	
3.	श्रीमती कुसमी देवी, पति–रामदेव राम	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–341 है, कुल कार्य दिवस 92 के आलोक में कुल मो0–12696.00 भुगतान कर दिया गया है।	
4.	श्री गुड्डु सिंह, पिता–अम्बिका सिंह,	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–813 है, कुल कार्य दिवस 20 के आलोक में कुल मो0–2880.00 भुगतान कर दिया गया है।	
5.	श्रीमती सुमित्रा देवी, पति–जंगी लाल महतो	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–569 है, कुल कार्य दिवस 60 के आलोक में कुल मो0–8280.00 भुगतान कर दिया गया है।	
6.	श्रीमती धनी देवी, पति–जगरन्नाथ राम	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–451 है, कुल कार्य दिवस 75 के आलोक में कुल मो0–10350.00 भुगतान कर दिया गया है।	
7.	श्रीमती सुखली देवी, पति–श्री तेजु राम	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–1067 है, कुल कार्य दिवस 53 के आलोक में कुल मो0–7314.00 भुगतान कर दिया गया है।	
8.	श्रीमती सिमरखिया देवी, पति–लंगटू राम	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–1256 है, कुल कार्य दिवस 60 के आलोक में कुल मो0–8280.00 भुगतान कर दिया गया है।	
9.	श्री अजीत राम, पिता–जगरन्नाथ राम	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–452 है, कुल कार्य दिवस 61 के आलोक में कुल मो0–9882.00 भुगतान कर दिया गया है।	
10.	श्री बिहारी सहनी, पिता–मुसहर सहनी	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–382 है, कुल कार्य दिवस 61 के आलोक में कुल मो0–9882.00 भुगतान कर दिया गया है।	
11.	श्रीमती राधिका देवी, पति–जाखू राम	परिवादी का जॉब कार्ड संख्या–1413 है, कुल कार्य दिवस 14 के आलोक में कुल मो0–1932.00 रू0 का खाता नहीं खुलने के कारण भुगतान नहीं हुआ है।	

(2)

विचारणीय बिन्दु

1. क्या परिवादगण द्वारा मनरेगा में कार्य किया गयाहै ?
2. क्या परिवादी में मनरेगा में काम के बाद सही समय पर सही मजदूरी का भुगतान हुआ है ? क्या वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ?

निष्कर्ष

अतः उपलब्ध साक्ष्यों और उभय पक्षों के लिखित आवेदन के आधार पर मै स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि परिवादीगण मनरेगा में कार्य किये है, लेकिन मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हुआ है। अतः वह क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। मनरेगा ऐक्ट के तहत 15 दिनों के अन्दर मजदूरी का भुगतान होना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती राधिका देवी, पति–जोखू राम का बैंक में खाता खोलकर मजदूरी का भुगतान कराया जाय।

अतः मैं कार्यक्रम पदाधिकारी और पंचायत रोजगार सेवक के जबाव से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मजदूरी विलम्ब के कारण क्षतिपूर्ति की राशि विभागीय पत्रांक–189382 दिनांक–24.6.2014 के अनुसार .05% ब्याज प्रति दिन के दर से दी जाय। क्षतिपूर्ति की राशि श्री बसंत कुमार चक्रवर्ती, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक और श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी से बराबर–बराबर वसूल कर ली जाय एवं देय क्षतिपूर्ति भुगतान 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाय तथा किये गये भुगतान को MIS में दर्ज किया जाय तथा श्रम बजट में भी उल्लेख किया जाय।

ह०

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–.....89...... / दिनांक–.....5.9.15.....

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश संख्या–14.2 सरकार के निदेश के आलोक में कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, मोतिहारी / श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी / पं०रो०से०, नौरंगिया / श्री बसंत कुमार चक्रवर्ती, तत्कालीन पं०रो०से०, नौरंगिया एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
5.9.15

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

CM-128624/14

कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

दिनांक–24.07.2014

उपस्थित :– श्री रमेन्द्रनाथ राय

मनरेगा शिकायत वाद संख्या–180/2014 श्री निरंजन कुमार बनाम पं0रो0से0, भरगांवा तथा कार्य0पदा0, सुगौली

निर्णय

परिवादी श्री निरंजन कुमा ने दिनांक–22.05.2014 को आवेदन दिया कि मनरेगा में वनपोषक की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

अतः आवेदन के आलोक में वाद दर्ज कर पं0रो0से0, भरगांवा और कार्य0 पदा0, सुगौली को नोटिस जारी की गई, जिसमें पं0रो0से0, भरगांवा ने अपने पत्रांक–51 दिनांक–29.05.2014 को जवाब दिया कि निरंजन कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष–2009–10, 2010–11 और 2013–14 का मजदूरी का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष–2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः 43 और 49 दिन का मजदूरी का भुगतान राशि के अभाव में लंबित था, लेकिन पंचायत में राशि उपलब्ध होते ही कुल 92 दिन का मजदूरी 13,248.00 रू0 का भुगतान कर दिय गया है, जिसकी विवरणी संलग्न है।

विचारणीय प्रश्न

(1) क्या परिवादी निरंजन कुमार ने मनरेगा के तहत वनपोषक का काम किया है ? क्या उन्हें सही समय पर सही भुगतान हुआ है अथवा नहीं ?

(2) क्या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ?

निष्कर्ष

अतः उपलब्ध साक्ष्यों और उभय पक्षों के लिखित आवेदन के आधार पर मै स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि परिवादी श्री निरंजन कुमार ने वनपोषक के रूप में काम किया है, लेकिन 92 दिन की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हुआ है। अतः वह क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। मनरेगा ऐक्ट के तहत 15 दिनों के अन्दर मजदूरी का भुगतान होना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि निरंजन कुमार को 92 दिन का मजदूरी विलम्ब के कारण क्षतिपूर्ति की राशि विभागीय पत्रांक–189382 दिनांक–24.6.2014 के अनुसार .05% ब्याज प्रति दिन के दर से दी जाय। दण्ड की राशि में से तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक और तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी से बराबर–बराबर वसूल कर ली जाय एवं देय क्षतिपूर्ति भुगतान तथा किये गये भुगतान को MIS में दर्ज किया जाय तथा श्रम बजट में भी उल्लेख किया जाय।

ह0

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–60/दिनांक–24.7.14

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश संख्या–14.2 सरकार के निदेश के आलोक में कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी**, सुगौली/कार्यक्रम पदाधिकारी, सुगौली/तत्कालीन पं0रो0से0, भरगांवा/पं0रो0से0, भरगांवा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण मोतिहारी